रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 574] नई दिल्ली, बुधवार, मई 16, 2007/वैशाख 26, 1929
No. 574] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 16, 2007/VAISAKHA 26, 1929

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2007

का.आ. 768(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

श्री विकास कुमार आर्य, अधिवक्ता और सचिव, ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम फार सिविल लिबर्टीज द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन छह संसद् सदस्यों, अर्थात् (1) प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, (2) श्री संतोष गंगवार, (3) सुश्री जयाबेन ठक्कर, (4) श्री किरेन रिजिजू, (5) श्री कैलाश जोशी और (6) श्री अजीत कुमार सिंह की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाते हुए तारीख 28 मार्च, 2006 की एक याचिका प्रस्तुत की गई है;

और राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन तारीख 31 मार्च, 2006 के एक निर्देश द्वारा ऊपर उल्लिखित छह संसद् सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न के बारे में निर्वाचन आयोग की राय मांगी है कि क्या वे संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उप-खंड (क) के अधीन संसद् सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं;

और निर्वाचन आयोग ने यह कथन किया है कि आयोग ने याचिका में उल्लिखित छह संसद् सदस्यों में से चार संसद् सदस्यों, अर्थात् (1) प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, (2) श्री किरेन रिजिजू, (3) श्री कैलाश जोशी और (4) श्री अजीत कुमार सिंह के संबंध में अपनी राय पहले ही दे दी है;

और निर्वाचन आयोग ने यह और कथन किया है कि वर्तमान राय श्री संतोष गंगवार, संसद् सदस्य (लोक सभा) की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित है;

और निर्वाचन आयोग ने यह और कथन किया है कि सुश्री जयाबेन ठक्कर के प्रश्न पर राय आवश्यक जांच के पश्चात् दी जाएगी;

और याची ने यह अभिकथन किया है कि श्री संतोष गंगवार, अध्यक्ष, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., बरेली का पद धारण कर रहे थे और याची ने यह दलील दी कि ऊपर उल्लिखित पद लाभ का पद है और इसलिए श्री गंगवार ने संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उप-खंड (क) के अधीन निरर्हता उपगत की है;

और निर्वाचन आयोग ने यह उल्लेख किया है श्री संतोष गंगवार को अप्रैल-मई, 2004 में हुए 14वीं लोक सभा के साधारण निर्वाचन में सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था और वह अध्यक्ष, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., बरेली का पद, 14वीं. लोक सभा के सदस्य के रूप में उनके निर्वाचन से पूर्व और निर्वाचन के समय धारण कर रहे थे और इसलिए यदि कोई निरर्हता उपगत की गई है तो, वर्तमान याचिका में उठाया गया प्रश्न निर्वाचन पूर्व निरर्हता का मामला है;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि यह याचिका, जहां तक इसका संबंध श्री संतोष गंगवार की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से है, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष चलने योग्य नहीं है;

अतः, अब, मैं, आ. प. जै. अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, यह अभिनिर्धारित करता हूँ कि श्री विकास कुमार आर्य की ऊपर उल्लिखित याचिका, जहां तक उसका संबंध श्री संतोष गंगवार, संसद् सदस्य (लोक सभा) की अभिकथित निरर्हता से है, चलने योग्य नहीं है ।

5 मई, 2007

भारत का राष्ट्रपति

[फा. सं. एच-11026(8)/2007-वि. II]

डॉ. संजय सिंह, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन
अशोक रोड़, नई दिल्ली-110001

2006 का निर्देश मामला सं. 35

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

निर्देश :

संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन श्री संतोष गंगवार, संसद् सदस्य (लोक सभा) की अभिकथित निरर्हता ।

राय

संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से तारीख 31 मार्च, 2006 का एक निर्देश प्राप्त हुआ था जिसमें संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संसद् के सदस्य होने के लिए छह संसद् सदस्यों, अर्थात् (1) प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (लोक सभा), (2) श्री संतोष गंगवार, संसद् सदस्य (लोक सभा), (3) सुश्री जयाबेन ठक्कर (लोक सभा), (4) श्री किरेन रिजिजू (लोक सभा), (5) श्री कैलाश जोशी (लोक सभा) और (6) श्री अजीत कुमार सिंह (लोक सभा) की अभिकथित निर्रहता के प्रश्न पर आयोग की राय मांगी गई थी।

2. पूर्वोक्त छह व्यक्तियों की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न श्री विकास कुमार आर्य, अधिवक्ता और सचिव, ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम फॉर सिविल लिबर्टीज (एआई एलएफसीएल) द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत तारीख 28 मार्च, 2006 की याचिका में उठाया गया था। याचिका में उल्लिखित छह संसद् सदस्यों में से आयोग ने 4 संसद् सदस्यों, अर्थात् (1) प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (लोक सभा), (2) श्री किरेन रिजिजू (लोक सभा), (3) श्री कैलाश जोशी (लोक सभा) और (4) श्री अजीत कुमार सिंह (लोक सभा) के संबंध में अपनी राय पहले ही दे दी है।

3. वर्तमान राय श्री संतोष गंगवार (प्रत्यर्थी) की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित है ।

4. याचिका में श्री संतोष गंगवार के संबंध में यह अभिकथन है कि वे अध्यक्ष, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बरेली का पदधारण कर रहे हैं । याची ने यह दलील दी है कि प्रत्यर्थी द्वारा धारित ऊपर उल्लिखित पद एक लाभ का पद है और प्रत्यर्थी ने उसके द्वारा उक्त पद धारण किए जाने के कारण अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन निरर्हता उपगत की है। याची ने यह और कथन किया है कि प्रत्यर्थी उस लाभ के पद को धारण करने के कारण विभिन्न वित्तीय फायदों/परिलब्धियों/विशेषाधिकारों का हकदार बना है और इस प्रकार प्रत्यर्थी संसद् सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गया है।

5. तथापि, याचिका के साथ इस दलील के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं लगा हुआ था कि वह पद, जिस पर प्रत्यर्थी को नियुक्त किया गया था सरकार के अधीन लाभ का पद था। याचिका में निर्दिष्ट पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति की तारीख के संबंध में कोई आधारिक जानकारी भी याचिका में अंतर्विष्ट नहीं थी। किसी पद पर किसी सदस्य की नियुक्त की तारीख इस बात को अवधारित करने के लिए अतिमहत्वपूर्ण है कि क्या कोई मामला अनुच्छेद 103(1) के निबंधनों के अनुसार विनिश्चित किए जाने के लिए राष्ट्रपति की अधिकारिता के अंतर्गत आता है।

उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों द्वारा सुस्थापित है [देखिए निर्वाचन आयोग **बनाम** सका वेंकटा राव (एआईआर 1953 एससी 201); बृन्दाबन नायक **बनाम** निर्वाचन आयोग (ए आई आर 1965 एससी 1892); निर्वाचन आयोग **बनाम** एन. जी. रंगा (ए आई आर 1978 एससी 1609)] कि संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग केवल ऐसे पदों से संबंधित प्रश्नों की ही जांच कर सकते हैं, जिन पर संसद् सदस्यों को ऐसे सदस्यों के रूप में उनके निर्वाचन के पश्चात् नियुक्त किया जाता है। इसलिए, आयोग की तारीख 13 अप्रैल, 2006 की सूचना द्वारा याची को उस संबंध में विनिर्दिष्ट जानकारी 5 मई, 2006 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। जब काफी लंबे समय तक याची से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो आयोग ने 18-8-2006 को एक और सूचना जारी की जिसके द्वारा उसे 8-9-2006 तक अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने का एक और अवसर दिया गया था।

6. तारीख 7-9-2006 को याची ने एक पत्र यह कथन करते हुए प्रस्तुत किया कि उसे अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह की और आवश्यकता है । उसेन केवल प्रत्यर्थी का डाक पता ही प्रस्तुत किया। आयोग ने उसके समय के विस्तार के अनुरोध पर विचार किया और उसे अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने के लिए 3-10-2006 तक का और समय दिया।

7. चूंकि विस्तारित समय अवधि की समाप्ति के पश्चात् याची ने कोई जानकारी या कोई और उत्तर प्रस्तुत नहीं किया इसलिए आयोग ने अनुच्छेद 103(2) के अधीन स्वयं को निर्दिष्ट अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर राष्ट्रपति को अपनी राय देने के लिए समर्थ बनाने हेतु सुसंगत जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से अभिप्राप्त करने का विनिश्चय किया । तदनुसार, आयोग ने 18 दिसंबर, 2006 के पत्र द्वारा उक्त पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति की तारीख और साथ ही उस पद पर उसकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के संबंध में जानकारी 29 दिसंबर, 2006 तक प्रस्तुत करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से अनुरोध किया । जब निश्चित तारीख तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो जानकारी प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को स्मरण कराया गया था ।

8. अंतत: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपने तारीख 1-2-2007 के उत्तर द्वारा सूचना दी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बरेली, उत्तर प्रदेश सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1965 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सहकारी सोसाइटी है और श्री संतोष गंगवार (प्रत्यर्थी) को 29-7-2000 को हुए निर्वाचन में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बरेली की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। प्रबंध समिति, जिसमें प्रत्यर्थी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ था का कार्यकाल 29-7-2005 को समाप्त हो गया है । यह और कथन किया गया है कि निर्वाचित व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में कोई शर्त नहीं जोड़ी गई है और उत्तर प्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1968 के नियम 383 के अनुसार निर्वाचित व्यक्तियों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है ।

9. श्री संतोष गंगवार को अप्रैल-मई, 2004 में आयोजित लोक सभा के साधारण निर्वाचन में 14वीं लोक सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। इस प्रकार श्री संतोष गंगवार 14वीं लोक सभा के सदस्य के रूप में उसके निर्वाचन की तारीख को और उससे पूर्व अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बरेली के अध्यक्ष का पद धारण कर रहे थे । इस प्रकार, वर्तमान याचिका में उठाया गया प्रश्न श्री संतोष गंगवार की ऐसी अभिकथित निरर्हता, यदि कोई हो, से संबंध रखता है जो अप्रैल-मई, 2004 में लोक सभा के लिए उनके निर्वाचन के समय और उससे पूर्व विद्यमान थी ।

10. उपरोक्त से यह देखा गया है कि यदि यह कोई मामला है तो वह निर्वाचन पूर्व निरर्हता का मामला है । ऊपर पैरा 5 में निर्दिष्ट सुस्थापित संवैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्री संतोष गंगवार की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न, जो निर्वाचन पूर्व निरर्हता का मामला है यदि कोई निरर्हता आकर्षित हुई है, तो उसे संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है । निर्वाचन आयोग के पास ऐसी अभिकथित निर्वाचन पूर्व की निरर्हता के प्रश्न पर कोई राय अभिव्यक्त करने की कोई अधिकारिता नहीं है । निर्वाचन पूर्व निरर्हता, अर्थात् निर्वाचन की तारीख को विद्यमान निरर्हता के मामले को संविधान के अनुच्छेद 329(ख) के अधीन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 6 के अधीन संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष ही उठाया जा सकता है न कि अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष । इस प्रकार, वर्तमान याचिका संविधान के अनुच्छेद 103(1) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष चलने योग्य नहीं है ।

11. श्री संतोष गंगवार के संबंध में राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को निर्वाचन आयोग की इस आशय की राय के साथ वापिस भेजा जाता है कि श्री संतोष गंगवार की अभिकथित निर्रहता के प्रश्न को उठाने वाली याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष चलने योग्य नहीं है । सुश्री जयाबेन ठक्कर के प्रश्न पर राय आवश्यक जांच के पश्चात् प्रस्तुत की जाएगी ।

ह./-	ह./-	ह./-
(एस. वाई. कुरेशी)	(एन. गोपालस्वामी)	(नवीन बी. चावला)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 23 फरवरी, 2007

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2007

S.O. 768 (E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas a petition dated the 28th March, 2006 raising the question of alleged disqualification of six Members of Parliament, namely, (1) Prof. Vijay Kumar Malhotra, (2) Shri Santosh Gangwar, (3) Ms. Jayaben Thakkar, (4) Shri Kiren Rijiju, (5) Shri Kailash Joshi and (6) Shri Ajit Kumar Singh, under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Vikas Kumar Arya, Advocate & Secretary, All India Lawyer's Forum for Civil Liberties;

And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 31st March, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question of alleged disqualification of aforementioned six Members of Parliament as to whether they have become subject to disqualification for being Member of Parliament under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas the Election Commission has stated that the Commission has, out of the six Members of Parliament mentioned in the petition, already tendered its opinion with regard to four Members of Parliament, namely, (1) Prof. Vijay Kumar Malhotra, (2) Shri Kiren Rijiju, (3) Shri Kailash Joshi and (4) Shri Ajit Kumar Singh;

And whereas the Election Commission has further stated that the present opinion relates to the question of alleged disqualification or Shri Santosh Gangwar, Member of Parliament (Lok Sabha);

And whereas the Election Commission has further stated that the opinion on the question of Ms. Jayaben Thakkar will be tendered after necessary enquiry;

And whereas the petitioner has alleged that Shri Santosh Gangwar has been holding the office of the Chairman, Urban Co-operative Bank Ltd., Bareilly and contended that the above-mentioned office is an office of profit and hence Shri Gangwar has incurred disqualification under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas the Election Commission has noted that Shri Santosh Gangwar was elected as a Member of the 14th Lok Sabha at the general election held in April-May, 2004 and he was holding the office of the Chairman, Urban Co-operative Bank Ltd., Bareilly, prior to, and at the time of, his election as a Member of the 14th Lok Sabha and, therefore, the question raised in the present petition is a case of pre-election disqualification, if at all any disqualification is attracted;

And whereas the Election Commission has rendered its opinion (vide Annex) that the petition in so far as it relates to the question of alleged disqualification of Shri Santosh Gangwar, is not maintainable before the President in terms of clause (1) of article 103 of the Constitution;

Now, therefore, I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, do hereby hold that the above-mentioned petition of Shri Vikas Kumar Arya is not maintainable in so far as it relates to the alleged disqualification of Shri Santosh Gangwar, Member of Parliament (Lok Sabha).

5th May, 2007

President of India

[F.No. H-11026(8)/2007-Leg. II]

Dr. SANJAY SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel

ANNEX

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Reference Case No. 35 of 2006

[*Reference from the President under Article 103 (2) of the Constitution*]

In re:

Alleged disqualification of Shri Santosh Gangwar, Member of Parliament (Lok Sabha), under Article 102 (1) (a) of the Constitution.

OPINION

A reference dated 31st March, 2006 was received from the President of India, under Article 103 (2) of the Constitution, seeking the opinion of the Election Commission on the question of alleged disqualification of six MPs, viz., (1) Prof. Vijay Kumar Malhotra (Lok Sabha), (2) Shri Santosh Gangwar, MP (Lok Sabha), (3) Ms. Jayaben Thakkar (Lok Sabha), (4) Shri Kiren Rijiju (Lok Sabha) , (5) Shri Kailash Joshi (Lok Sabha) and (6) Shri Ajit Kumar Singh (Lok Sabha), for being Members of the Parliament under Article 102 (1)(a) of the Constitution.

2. The question of alleged disqualification of the aforesaid six persons was raised in a petition dated 28th March, 2006, submitted to the President by Sh. Vikas Kumar Arya, Advocate & Secretary, All India Lawyers' Forum for Civil Liberties (AILFCL). Out of the six MPs mentioned in the petition, the Commission has already tendered its opinion with regard to 4 MPs, namely, (1) Prof. Vijay Kumar Malhotra (Lok Sabha), (2) Shri Kiren Rijiju (Lok Sabha), (3) Shri Kailash Joshi (Lok Sabha) and (4) Shri Ajit Kumar Singh (Lok Sabha).

3. The present opinion relates to the question of alleged disqualification of Shri Santosh Gangwar (respondent).

4. The allegation in the petition with regard to Shri Santosh Gangwar is that he has been holding the office of the Chairman, Urban Co-operative Bank Ltd., Bareilly. The petitioner has contented that the above mentioned office held by the respondent is an office of profit and the respondent has incurred disqualification under Article 102 (1) (a) on account of his holding the said office. The petitioner has further stated the respondent has been entitled to various financial benefits/ perks/privileges on account of holding the office of profit and, as such, the respondent has become disqualified for being Member of Parliament.

5. The petition was, however, not accompanied by any document to support the contention that the office to which the respondent had been appointed was office of profit under the Government. The petition did not even contain the basic information about the date of appointment of the respondent to the office referred to in the petition. The date of appointment of a Member to an office is vital to determine whether the case falls within the jurisdiction of the President to decide in terms of Article 103 (1). It is well settled by catena of decisions of the Supreme Court [See Election Commission *V/s.* Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 201); Brundaban Naik *Vs.* Election Commission (AIR 1965 SC 1892); Election Commission *V/s.* N.G. Ranga (AIR 1978 SC 1609)] that under Article 103 (1) of the Constitution, the President and the Election Commission can look into the questions of only those offices to which the Members of Parliament are appointed after their election as such Members. The petitioner was, therefore, asked to furnish, by 5th May, 2006, specific information in that regard, *vide* the Commission's Notice dated 13th April, 2006. When there was no response from him for a considerable time, the Commission issued another notice to him, on 18-8-2006, giving him further opportunity to furnish the requisite information by 8-9-2006.

6. On 7-9-2006, the petitioner submitted a letter stating that he would require four more weeks to submit his reply. He only furnished the postal address of the respondent. The Commission considered his request for extension of time and granted him further time up to 3-10-2006, to enable him to submit the desired information.

7. As even after expiry of the extended deadline, the petitioner did not furnish any information or any further reply, the Commission decided to obtain the relevant information from the State Government of Uttar Pradesh, to be able to give its opinion to the President on the question of alleged disqualification referred to the Commission under Article 103(2). Accordingly, *vide* letter dated 18th December, 2006, the Commission requested the State Government of Uttar Pradesh to furnish by 29th December, 2006 information regarding the date of appointment of the respondent to the said office together with the terms and conditions of his appointment to that office. The State Government had to be reminded to furnish the information when no reply was received by the deadline.

8. Ultimately, the State Government of Uttar Pradesh, in its reply dated 1-2-2007, has intimated that the Urban Co-operative Bank Ltd., Bareilly is a co-operative society registered under the Uttar Pradesh Co-operative Societies Registration Act, 1965 and Shri Santosh Gangwar (respondent) was elected as the Chairman of the Management Committee of the Urban Co-operative Bank Ltd., Bareilly in an election held on 29-7-2000. The term of the Management Committee of which the respondent was the elected Chairman has expired on 29-7-2005. It has been further stated that no condition is attached with regard to the appointment of the elected persons and as per Rule 383 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Rules, 1968 no remuneration is to be given to the elected persons.

9. Shri Santosh Gangwar (respondent) was elected as a Member of the 14th Lok Sabha at the general election to the House of People held in April May, 2004. Thus, Shri Santosh Gangwar was holding the office of the Chairman, Urban Co-operative Bank Ltd., Bareilly prior to, and at the time of, his election as Member of the 14th Lok Sabha. Thus, the question raised in the present petition relates to alleged disqualification, if any, of Shri Santosh Gangwar, which existed at the time of, and prior to, his election to the Lok Sabha in April-May, 2004.

10. From the above, it is seen that this is a case of pre-election disqualification, if at all. In view of the well settled constitutional position, referred to in paragraph 5 above, the question of the alleged disqualification of Shri Santosh Gangwar, being a case of pre-election disqualification, if at all any disqualification is attracted, cannot be raised before the President under Article 103(1) of the Constitution. The Election Commission also has no jurisdiction to express any opinion on the question of such alleged pre-election disqualification. Case of pre-election disqualification, i.e. disqualification existing on the date of election can be raised before the High Court concerned, under Article 329(b) of the Constitution and Part VI of Representation of the People Act, 1951, and not before the President under Article 103(1). The present petition is thus not maintainable before the President in terms of Article 103(1) of the Constitution.

11. The reference received from the President in respect of Shri Santosh Gangwar is hereby returned with the opinion of the Election Commission, to the effect that the petition raising the question of alleged disqualification of Shri Santosh Gangwar is not maintainable before the President in terms of Article 102(1)(a) of the Constitution of India. Opinion on the question of Ms. Jayaben Thakkar will be tendered after necessary enquiry.

(S. Y. Quraishi)	(N. Gopalaswami)	(Navin B. Chawla)
Election Commissioner	Chief Election Commissioner	Election Commissioner

Place: New Delhi

Dated: 23rd February, 2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.